

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1606
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देश

1606. श्री लालजी वर्मा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एसीटीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 23 अगस्त, 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा, कक्षा I से VIII तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। अधिसूचना के

अनुसार, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.09.2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है।

आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में, माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा पांच वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक पांच वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है; तथापि, ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में, शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है।



Join us For All Study Materials ,Free Pdf and Notes



JOIN Telegram
Group
For **FREE PDF**
& All Exams
Updates

CLICK HERE



JOIN WhatsApp
Channel

CLICK HERE



PDF LOGY

Made With Readers Friendly.....

